मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय

एफ क./ F 3-2/09/50-2 PF भोपाल दिनाँक 29/8/2009

प्रति,

1 समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश
2 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
मध्यप्रदेश
3 समस्त जिला कार्यकम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
मध्यप्रदेश
4 समस्त परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना,
मध्यप्रदेश

विषय- समेकित बाल विकास परियोजनाओं (शहरी) में 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार के प्रदाय से संबंधित निर्देश ।

संदर्भ- मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क एफ3-1/07/50-2,दिनाँक 15.2.07, क एफ 3-21 /07/50-2, दिनाँक 27.3.08, दिनाँक 31.5.08 एवं संचालनालय, महिला एवं बाल विकास का पत्र क./मबावि/पो.आ./10346, दिनांक 25.10.08 ।

....

कृपया संदर्भित पत्र द्वारा हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी निर्देशों का अवलोकन कीजिए । तात्कालिक आवश्यकता एवं पोषण आहार की निरन्तरता को देखते हुए इनमें आवश्यक संशोधन भी किये गये हैं । इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्देश संचालक, महिला एवं बाल विकास, भोपाल के पत्र क./मबावि/पो.आ. /09/6932, दिनाँक 4.8.09 के द्वारा जारी किये गये थे, उपरोक्त निर्देशो के तहत् शहरी बाल विकास परियोजनाओं में भी वर्तमान में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था जिलों में की जा रही है ।

C:\Users\wcd\Desktop\SANJHA CHULHA\SNP rural & urban.doc

(2) राज्य शासन के पत्र क्र. एफ 3-2/09/50-2, दिनाँक 28.2.09 के द्वारा पोषण आहार की दर वृद्धि की गई है, जो निम्नानुसार है :-

हितग्राही	पूर्व दर	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी	संशोधित दर	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	2.00 रू. प्रति हितग्राही प्रति दिन	8-10	300	4.00 रू. प्रति हितग्राही प्रति दिन	12-15	500
गंभीर कुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	2.70 रू. प्रति हितग्राही प्रति दिन	16-20	500	6.00 रू. प्रति हितग्राही प्रति दिन	20-25	800
गर्भवती माता, धात्री माता एवं किशोरी बालिका	2.30 रू. प्रति हितग्राही प्रति दिन	16-20	500	5.00 रू. प्रति हितग्राही प्रति दिन	18-20	600

(3) राज्य शासन द्वारा दर वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप अब आंगनबाड़ी केन्द्रो में हितग्राहियों को दो बार पोष्टिक पोषण आहार दिया जाना है । जिसके तहत सुबह 9.00 से 10.00 के दौरान नाश्ता (स्नेक्स) तथा दोपहर 12.00 से 1.00 के दौरान भोजन दिया जाना है ।

(4) मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र एफ3-1/07/50-2,दिनाँक 15.2.07, की कंण्डिका 3.1 में लोकल फूड माइल के तहत विभिन्न व्यंजनों की सूची दी गई है, इन्ही व्यंजनों के आधार पर प्रतिदिन सुबह नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक मीनू अनुसार पोषण आहार के रूप में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों का दिया जाना है ।

(5) शहरी बाल विकास परियोजनाओं में जिला स्तर पर स्थानीय संस्थाओं (स्व-सहायता/महिला मण्डल/ सहयोगिनी मातृ समिति) के माध्यम से पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की जायेगी।

(6) <u>संस्थाओं के चयन के अधिकार-</u>

म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास के पत्र दिनांक 27.3.08 में संस्थाओं से कार्य कराने के संदर्भ में निर्देश हैं कि, स्व-सहायता समूह/महिला मण्डलों को उनकी कार्य क्षमता, आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी मातृ समितियों की कार्य क्षमता को देखते हुए ही पूरक पोषण आहार को आँगनवाड़ी केन्द्रों पर

ही प्रदाय हेतु कार्य दिया जाये । पूरक पोषण आहार वितरण में स्थानीय संस्थाओं को ही प्रदाय कार्य दिये जायें । किसी भी स्थिति में बाहर के व्यक्ति को कय आदेश न दिया जाये ।

शहरी क्षेत्र में कम-से-कम 50 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर एक स्थानीय संस्था द्वारा पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जावेगा ।

(7) संस्थाओं के चयन हेतु समिति -

- अध्यक्ष - कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि
- जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
- कोषालय अधिकारी
- संबंधित परियोजना का परियोजना अधिकारी

(8) संस्थाओं के चयन के मापदण्ड -

- संस्था स्थानीय होना चाहिए ।
- संस्था क्रियाशील होना चाहिए।
- संस्था की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए, जो कम से कम एक माह का पूरक पोषण आहार प्रदाय करने में सक्षम हो।
- पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता इत्यादि के बारे में जानकारी हो।
- संस्था के पास साफ सुथरा, पर्याप्त जगह वाला, सर्व सुविधायुक्त किचिन शेड की व्यवस्था हो।

(9) अनुबन्ध एवं प्रदाय आदेश -

- समिति के द्वारा चयनित स्थानीय संस्थाओं की सूची प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध किया जावेगा।(अनुबंध प्रारूप संलग्न है)
- बाल विकास परियोजना अधिकारी मासिक कय आदेश समूह को जारी करेंगे।

(10) प्रदाय व्यवस्था में विलम्ब होने पर कार्यवाही-(पेनॉल्टी)

यदि कोई संस्था निर्धारित सीमा में सामग्री प्रदाय नहीं करती है तो उसे नोटिस देकर सुनवाई की जाकर जवाब संतोषजनक पाए जाने पर एक मौका और दिया जावेगा। त्रुटि की पुनरावृत्ति होने पर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा प्रतीक्षा सूची की अन्य स्थानीय संस्था को कय आदेश दिया जावेगा।

(11) सामग्री की दरों का निर्धारण -

जिला कलेक्टर्स् की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति, जिसमें जिला कलेक्टर के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला कोषालय अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को शामिल किया गया है, के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दर का निर्धारण कॉस्टप्लस् फार्मूले के आधार पर किया जायेगा । निर्धारित की जाने वाली दर में पूरक पोषण आहार प्रदाय पर होने वाले

समस्त व्यय शामिल होंगे । उपरोक्त सभी मदों को शामिल करने के पश्चात् पूरक पोषण आहार हेतु निर्धारित दर की सीमा प्रति हितग्राही, प्रतिदिन निर्धारित मापदण्डों से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(12) देयकों का भुगतान–

संस्था के द्वारा देयक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी परीक्षण उपरान्त देयकों के भुगतान की स्वीकृति के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान की स्वीकृति जारी करेंगे ।

(13) खाद्यान्न का उठाव –

बी.पी.एल.गेहूँ/चावल का कोटा भारत शासन से प्राप्त होने पर संचालनालय द्वारा संबंधित जिलों को आबंटित किया जावेगा। बी.पी.एल. गेहूँ/चावल के उठाव हेतु कलेक्टर द्वारा नामांकित सक्षम अधिकारी द्वारा संस्था को निर्धारित मात्रा का अधिकार-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा । उक्त निर्धारित मात्रा का संस्था उठाव करेंगे।

(14) कच्ची सामग्री –

पोषण आहार प्रदाय हेतु कच्ची सामग्री का क्रय स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है । संस्थाओं को निर्देश दिये जावेंगे कि वे अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री क्रय करेंगे, जैसे कि भोजन में आयोडीनयुक्त नमक एवं एगमार्क वाले तेल का उपयोग किया जावे ।

(15) भोजन का प्रदाय/वितरण –

आँगनवाड़ी केन्द्र तक आँगनवाड़ी कार्यकर्ता की मांग अनुसार भोजन प्रदाय करने की जवाबदारी संस्था की होगी । इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जावेगी। आँगनवाड़ी केन्द्र पर पोषण आहार दो समय वितरण की जिम्मेदारी आँगनवाड़ी सहायिका की होगी ।

(16) अभिलेख संधारण–

(अ) स्थानीय संस्था का अभिलेख–

- बी.पी.एल.गेहूँ/चावल, कच्ची सामग्री ,पकी सामग्री का स्टॉक रजिस्टर।
- संस्था द्वारा विभाग के हितग्राहियों की प्रतिमाह उपस्थित संख्या एक रजिस्टर में संधारित की जायेगी । इस दर्ज संख्या को विभाग के अधिकारी समूह से प्राप्त करेंगे एवं प्रतिमाह रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को भेजेंगे ।
- केश बुक/बिल व्हाउचर ।
- दैनिक पावती कार्ड

(ब) आँगनवाड़ी केन्द्र पर अभिलेख–

ताजा गर्म पका पोषण आहार प्राप्ति का रजिस्टर ।

(17) <u>मॉनीटरिंग -</u>

स्थानीय मातृ सहयोगिनी समिति, स्वास्थ्य समिति एवं पर्यवेक्षक स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग करेगी। जहाँ मातृ सहयोगिनी समिति पोषण आहार प्रदाय का कार्य कर रही है वहाँ स्वास्थ्य समिति एवं पर्यवेक्षक स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग करेगी। परियोजना स्तर पर अन्तरविभागीय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति पूरक पोषण आहार व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगी ।

(18) <u>कमिटमेंट -</u>

कार्यरत् स्थानीय संस्थाओं को एक वर्ष से पहले नही हटाया जायेगा। किसी भी स्थिति में भोजन कियान्वयन का कार्य संस्था के अलावा अन्य किसी ठेकेदार को नहीं दिया जायेगा एवं न ही कोई संस्था किसी अन्य संस्था को उप आबंटित (सब-लेट) कर सकेगी। कार्य संतोषप्रद न होने पर यदि संस्था बदलने जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो संस्था के स्थान पर प्रतीक्षा सूची की अन्य संस्था को भोजन कियान्वयन का कार्य दिया जायेगा।

कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशा अनुसार आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की निरंतरता बनाई रखी जाये, किसी भी स्थिति में पोषण आहार बांधित नही रहना चाहिए । यह जिला अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी ।

(कामिनी चौहान रतन)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 29 /8/09

पृ.क./ F 3-2/09/50-2 PF-

<u>प्रतिलिपि:-</u>

1 निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग ।
2 संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश ।
3 संचालक, महिला एवं बाल विकास, पर्यावास भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग